प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

अध्यक्ष/सचिव,
रामचरितर स्मारक शिक्षण सेवा संस्थान,ग्राम-बरहतिर,जगदीशपुर, पो0-जहानागंज,तहसील-सदर, आजमगढ़।

संस्था का नाम - आर0एस0एस0 फार्मेसी कॉलेज,ग्राम व पो0-जहानागंज, तहसील-सदर, आजमगढ़।

पत्रांकः- प्राशिप/परिषद/2023/50/117 लखनऊःदिनांक- 18-5-2023

विषयः-सत्र 2022-23 हेतु संस्थान को निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया (पी0सी0आई0) के पत्रांक 14-56/2022(Approval Process for 2022-2023 as)/11942-46, Online Application for 2021-2022(DS) Online Application for 2021-2022(AS) दिनाक- 03-07-2022, 14-56/2022(Approval Process for 2022-2023as)/12561-63 Online Application for 2022-2023(DS) Online Application for 2022-2023(AS) दिनांक 04-08-2022 एवं 14-56/2022-PCI(B)(Moratorium)/13220-22, 14-56/2022 (Approval Process for 2022-2023 as) (New Instt) Online Application for 2022-2023(DS). Online Application for 2022-23(AS) दिनांक 30 अगस्त 2022 को संदर्भित करने का कष्ट करें, जिसके अनुक्रम में सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु आप द्वारा सहमति/अनापत्ति निर्गत किये जाने के संबंध में अनुरोध किया गया।

शासनादेश संख्या 261/सोलह-3-2022-16-3099/9/2022टीसी-1 दिनांक 14-07-2022, 288/सोलह-3-2022-16-3099/9/2022टीसी-1 दिनांक 08 अगस्त 2022 एवं 317/सोलह-3-2022-16-3099/9/2022टीसी-1 दिनांक 05 सितम्बर 2022 द्वारा दिए गए निर्देशों एवं राज्य स्तरीय समिति द्वारा दी गयी संस्तुति के आधार पर संस्थान को सहमति/अनापत्ति पत्र रु0 100/- का इस आशय का शपथपत्र प्राप्त करते हुए निर्गत की गयी थी की "आवेदक संस्थान द्वारा यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाए जातें हैं तो उनके विरुद्ध परिषद् द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जाएगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु संस्थान स्वयं उत्तरदायी होंगे।

मा० मुख्यमंत्री कार्यालय के पत्र संख्या 647/ACS/CM/23 दिनांक 18-04-2023 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में डी0फार्म0 पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु निर्गत की गई एन०ओ०सी० की जाँच संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा करायी गयी। जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गयी जाँच आख्या के परीक्षणोंपरांत जिलाधिकारी स्तर से आपके संस्थान को असंस्तुति (Not Recommended) प्रदान की गयी है। जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई जाँच आख्या एवं तत्क्रम में शासन के पत्र संख्या 313/16-3099/9/2022-Part-(2) दिनांक 17-05-2023 द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में आपके संस्थान को सत्र 2022-23 हेतु निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है।

भवदीय,

(एफ0 आर0 खान)
सचिव

MANAGER
R.S.S. Pharmacy College
Jahanaganj, Azamgarh